

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०१/आ०-७-१४/२००४

/स्वा०/पटना,दिनांक / स्व०

डा० अरुण कुमार झा, तत्कालीन निलंबित चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वसंतपुर, सुपौल सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, कार्यालय, मधुबनी को स्वास्थ्य विभाग के अधिसूचना सं० १०६७(९) दिनांक १८.०९.२००८ द्वारा निलंबन मुक्त एवं आरोप मुक्त किया गया तथा विभागीय कार्यवाही समाप्त की गई थी। किन्तु निलंबन अवधि ०९.०५.२००२ से १८.०९.२००८ तक के वेतन के बारे में निर्णय नहीं लिया जा सका था।

समीक्षोपरान्त स्व० डा० झा की निलंबन अवधि (दिनांक ०९.०५.२००२ से १८.०९.२००८ तक) को कार्य अवधि मानते हुए उक्त अवधि का (पूर्व में भुगतान किए गए जीवन निर्वाह भत्ता छोड़कर) पूर्ण वेतन भुगतान का आदेश दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,

स्वा० विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:

११०७ (९)

/स्वा०, पटना, दिनांक:

३१/१२/२०१५


प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी सुपौल/मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आर०डी०डी० सहरसा/दरभंगा/सिविल सर्जन सुपौल एवं मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- स्व० डा० अरुण कुमार झा, तत्कालीन निलंबित चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वसंतपुर, सुपौल सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, कार्यालय, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा० के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी २,३,५,७,८,१०, एवं १७ स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वा० विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव